कार्यालय नगर पंचायत गौरी बाजार, जनपद– देवरिया

आदर्श नगर योजना अति अल्पकालिक निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत गौरी बाजार, जनपद–देवरिया सीमा अन्तर्गत वित्तीय वर्श 2011–12 भाासनादे ा सं0 657/9–8'2011–15(20)/आ0ना0यो0/10नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊ दिनांक– 22 मार्च 2011 आद र्ा नगर योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराि ायों से कराये जाने वाले निर्माण कार्य हेतु विभिन्न विभागों जैसे :– लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जिला पंचायत देवरिया, नगर पालिका परिशद, देवरिया एवं जनपद की समस्त निकायों में पंजीकृत/अनुभवी ठेकेदारों से मोहरबन्द निविदा दिनांक 27–07–2011 समय दो बजे दिन तक जिलाधिकारी महोदय, देवरिया (टी0ए0सी0 लिपिक) कार्यालय कलेक्ट्रेट देवरिया, जनपद–देवरिया एवं कार्यालय नगर पंचायत गौरी बाजार जनपद देवरिया पर आमंत्रित किया जाता है और प्राप्त निविदाओं को उसी दिन समय 3.00 बजे दिन में अपर जिलाधिकारी महोदय (वित्त एवं राजस्व), देवरिया द्वारा उपस्थित ठेकेदारों/प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र की बिक्री दिनांकः 26–07–2011 तक अधि ााशी अधिकारी कार्यालय नगर पंचायत गौरी बाजार जनपद– देवरिया एवं उपजिलाधिकारी कार्यालय देवरिया सदर देवरिया, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय कार्यालय (T.A.C) कलेक्ट्रेट देवरिया पर किसी भी कार्यालय दिवस को कार्यालय समय में की जायेगी, यदि इस संदर्भ में इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना/जानकारी चाहते हैं तो दिनांकः 26–07–2011 तक किसी भी कार्यालय दिवस को कार्यालय समय में नगर पंचायत गौरी बाजार, जनपद– देवरिया के कार्यालय से ज्ञात कर सकते हैं। निविदा मूल्य नानरिफण्डेबुल होगी निम्नांकित विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	कार्यस्थल/निर्माण कार्य का नाम	योजना का नाम	भाासन द्वारा स्वीकृत/मूल्याकित आगणन धनराि ा (लाख रुपये में)	वर्तमान दर पर सं ाोधित आगणन धनराि ा जो लो0नि0 वि0 द्वारा स्वीकृत किया गया है।लाख रुपये में	भुगतान की स्थिति लाख रुपये में	आरक्षण	लम्बाई तथा चौड़ाई (मी0में)	धरोहर धनराि ा जमा करना अनिवार्य है।	अनुबन्ध धनराि ा स्टैम्प पेपर मूल्य	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	वार्ड नं0 10,–5 में नैन हलवाई के दुकान से विनोद निगम के मकान होते हुए महेन्द्र गुप्ता के मकान नगर पंचायत सीमा तक दोनो पटरी पर इण्टरलाकिग फ ा निर्माण कार्य।	आद र्ा नगर योजना	40.49 चालीस लाख उन्चास हजार रुपया।	49.46 उन्चास लाख छियालिस हजार रुपया।	भाासन द्वारा स्वीकृत धनराि ा 40.49 लाख रुपया आद र्ा नगर योजना से भुगतान किया जाएगा भोश धनराि ा तृतीय राज्यवित्त आयोग एवं नगर निधि से भुगतान किया जाएगा	टनार क्षित	आगणन के अनुसार	4.94 लाख रुपये	48100.00	5000.00 रूपये	एक माह
2	वार्ड नं0 10 में नैन हलवाई के मकान से महेन्द्र गुप्ता के घर नगर पंचायत सीमा तक नाला निर्माण कार्य ।	आद र्ा नगर योजना	9.66 लाख रुपये	12.24 लाख रुपये	भाासन द्वारा स्वीकृत धनराि ा 9.66 लाख रुपया आद र्ा नगर योजना से भुगतान किया जाएगा भोश धनराि ा तृतीय राज्यवित्त आयोग एवं नगर निधि से भुगतान किया जाएगा	अनु0 जाति के लिए आरक्षित	आगणन के अनुसार	122300.00 एक लाख बाईस हजार तीन सौ	11930.00 ग्यारह हजार नौ सौ तीस	1200.00 एक हजार दो सौ	एक माह

निविदा की नियम व शर्ते :–

1. अध्यक्ष/अधि ााशी अधिकारी, नगर पंचायत गौरी बाजार को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि किसी एक निविदा को या समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं। परन्तु यह कार्य जिलाधिकारी महोदय, देवरिया के स्वीकृति के उपरान्त की जायेगी।

2. भाासनादे ा संख्याः 6738 / 23–7–2206–176(सा0) / 06 लोक निर्माण अनुभाग–7, लखनऊ, दिनांकः 05 जनवरी, 2007 के बिन्दु सं0 18 के अनुपालन क्रम में ठेकेदार को निविदा क्रय करते समय धरोहर धनरा ा किसी भी राश्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा प्रमाण पत्र / डिमाण्ड ड्राफ्ट से जमा कर सकता है। जो अध्यक्ष / अधि ाशी अधिकारी नगर पंचायत गौरी बाजार के नामें भुगतान होना आव यक है। जिसका मूल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। छाया प्रति अमान्य होगी। यदि ठेकेदार नकद जमा करना चाहता है तो नकद भी जमा कर सकता है। यदि ठेकेदार धरोहर धनरा ा जमा नहीं करता है तो उसका निविदा निरस्त कर दिया जायेगा। बिना धरोहर धनरा ा जमा किये कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. ठेकेदार को अपने व्यय से नियमानुसार जनरल स्टैम्प क्रय करके अनुबन्ध करना होगा बिना अनुबन्ध किये भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. निविदा से संबंधित दरें आल ओवर परसेन्टेज के अनुसार मान्य होगा।
5. निविदा पर ओवर राईटिंग व कटिंग अमान्य होगी, ओवरराईटिंग व कटिंग होने पर निविदा निरस्त किया जा सकता है।
6. चालू भुगतान व अन्तिम भुगतान अधि ाशी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग देवरिया / राजपत्रित अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी, जो आगणन की धनरा ा से अधिक का भुगतान नहीं किया जायेगा। सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / अधि ाशी अभियन्ता का होगा।
7. धरोहर धनरा ा निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं अन्तिम भुगतान (अन्तिम चेक कटने के दिनांक से) की तिथि से छः माह के बाद संतोशजनक द ाा में होने के उपरान्त ही वापस की जायेगी। जो अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता की संस्तुति के उपरान्त ही वापस किया जायेगा।
8. नियमानुसार वाणिज्य कर / आयकर / रायल्टी की कटौती अवर अभियन्ता द्वारा बिल बनाते समय की जायेगी। यह अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता का उत्तरदायित्व होगा।
9. यदि उक्त निविदा से संबंधित कोई वाद–विवाद उत्पन्न होता है तो किसी भी ठेकेदार व अन्य व्यक्ति को किसी न्यायालय में जाने का अधिकार न होगा। जिला मजिस्ट्रेट महोदय देवरिया का अंतिम आदे ा सर्वमान्य होगा।
10. निविदा प्रपत्र पर फोटो लगाना अनिवार्य है। अन्यथा अमान्य समझा जायेगा। फोटो न लगाने की द ाा में निविदा निरस्त किया जा सकता है।
11. आगणन से अधिक का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि आगणन से अधिक धनरा ा का बिल अवर अभियन्ता द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त बढ़ी हुई धनरा ा अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता के वेतन तथा चल व अचल सम्पत्ति से भू–राजस्व बकाया की भांति वसूली करा करके ही भुगतान किया जायेगा। इस कार्य हेतु सहायक अभियन्ता का भी पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। नगर पंचायत गौरी बाजार के खाते से इस तरह से बढ़ी हुई धनरा ा का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि कर दिया गया है तदोपरान्त उक्त भुगतान की गयी धनरा ा जो बढ़ी हुई है की आर0सी0 जारी करके अवर अभियन्ता के वेतन व चल–अचल सम्पत्ति से वसूली करायी जायेगी। जिसका सारा उत्तरदायित्व अवर अभियन्ता पर होगा।
12. ठेकेदार द्वारा आगणन से अधिक का कार्य नहीं किया जायेगा। यदि वह आगणन से अधिक का कार्य करता है तो उसका भुगतान नगर पंचायत गौरी बाजार के खाते से नहीं किया जायेगा। अधिक धनरा ा का जो कार्य होगा ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। नगर पंचायत गौरी बाजार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के आदे ा संख्या– 6264 / चौबीस–9(2006–2007), दिनांक– 29 मई, 2007 के अनुपालन क्रम में प्रदे ा में ठेका / अनुबन्ध तथा पटटे में माफियाओं पर रोक लगाने हेतु रिट याचिका संख्याः 5018 / एम0एस0 / 2005 चन्द्रिका प्रसाद निशाद बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में तथा रिट याचिका संख्याः 5153 / एम0एस0 / 2005 भोलानाथ निशाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदे ा दिनांकः 09.11.2006के अनुपालन के संबंध में, के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
14. ठेकेदार को अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र (पी0डब्लू0डी0–टी0–4) जिस पर ठेकेदार का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नवीनतम् राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न किया जायेगा। संलग्न न करने की द ाा में ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
15. ठेकेदार को अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित हैसियत प्रमाण पत्र (पी0डब्लू0डी0–टी0–5) जिस पर ठेकेदार का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नवीनतम् राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न किया जायेगा। संलग्न न करने की द ाा में ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
16. ठेकेदार को (पी0डब्लू0डी0–टी0–6) स्वयं भापथ पत्र जो 100.00 रूपये (एक सौ रूपये मात्र) स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा दो साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए निविदा के साथ संलग्न किया जायेगा। जिस पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नवीनतम् राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न किया जायेगा। संलग्न न करने की द ाा में ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। स्वयं भापथ पत्र पर अलग–अलग निर्माण कार्यो का अलग–अलग भापथ पत्र लगाना अनिवार्य होगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
17. भाासनादे ा सं0 6738 / 23–7–2006–176 (सा0) / 06 लोक निर्माण अनुभाग–7 दिनांकः 05 जनवरी 2007 के अनुपालनक्रम में विन्दु सं0 18 में 2.00 लाख रूपये तक सहायक अभियन्ता तथा इससे उपर 40.00 लाख तक अधि ाशी अभियन्ता के स्वीकृति के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। यदि सहायक अभियन्ता द्वारा अनधिकृत तरीके से 2.00 लाख रूपये के उपर की भुगतान की स्वीकृति दी जायेगी तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सहायक अभियन्ता पर होगा साथ ही साथ उक्त भाासनादे ा क्रम में विन्दु सं0 18 पर ही 10 प्रति ात धरोहर धनरा ा जमा करना अनिवार्य हेतु निर्दे ात किया गया है। इस हेतु अध्यक्ष द्वारा इसमें किसी प्रकार की ि ाथिलता नहीं बरती जायेगी। यदि ठेकेदार धरोहर धनरा ा आगणन से 10 प्रति ात जमा नहीं करता है तो उसका निविदा निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका उत्तरदायित्व ठेकेदार पर होगा।
18. बिना अनुबन्ध किये कार्यादे ा नहीं जारी किया जायेगा।
19. भाासनादे ा संख्या– 609 / नौ–9–2007–249ज / 06, नगर विकास अनुभाग– 9, लखनऊ, दिनांक– 26 फरवरी, 2007 के अन्तर्गत अनुपालन क्रम में सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
20. ठेकेदार द्वारा क्रमांक 01 से लेकर 19 तक के प्राविधानों का पालन करना अनिवार्य है। यदि ठेकेदार उपरोक्त प्राविधानों का अनुपालन नहीं करता है तो उसका निविदा / ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। ठेकेदार नियमानुसार हर्जे व खर्चे का भी जिम्मेदार होगा, साथ ही काली सूची में भी अंकित किया जा सकता है।

अधिशाशी अधिकारी
नगर पंचायत गौरी बाजार
जनपद– देवरिया

(निलेश कुमार जायसवाल)
अध्यक्ष
नगर पंचायत गौरी बाजार
जनपद– देवरिया

पत्रांकः 551 न0पं0गौ0बा0 / 2011–12 दिनांकः 18 जुलाई, 2011

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है :–

1. जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
2. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देवरिया / प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, कलेक्ट्रट देवरिया।
3. उप जिलाधिकारी, देवरिया सदर, देवरिया।
4. अधि ाशी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड देवरिया।
5. अधि ाशी अधिकारी, नगर पालिका परिशद देवरिया।
6. एन0आई0सी0 देवरिया की सेवा में इस आ ाय से कि उपरोक्त अल्पकालिक निविदा सूचना बेबसाइट पर डाउनलोडिंग करने का कश्ट करें।
7. विज्ञापन व्यवस्थापक, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण / राश्ट्रीय सहारा / स्वतंत्र चेतना / दैनिक आज / राश्ट्रचिन्ह यूनिवर्स रिर्पोटर गोरखपुर एवं दैनिक पायनियर लखनऊ की सेवा में इस आ ाय से प्रेशित कि उपरोक्त विज्ञापन अपने–अपने समाचार–पत्रों में अगले अंक में प्रका ात कराकर समाचार पत्र की 5 प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रेशित करने का कश्ट करें।

अधिशाशी अधिकारी
नगर पंचायत गौरी बाजार
जनपद– देवरिया

(निलेश कुमार जायसवाल)
अध्यक्ष
नगर पंचायत गौरी बाजार
जनपद– देवरिया

कार्यालय नगर पंचायत गौरी बाजार, जनपद– देवरिया

अति अल्पकालिक निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत गौरी बाजार, जनपद–देवरिया सीमा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 तृतीय राज्य वित्त आयोग/नगर पंचायत निधि गौरीबाजार के अन्तर्गत प्राप्त धनराि ायों से कराये जाने वाले निर्माण कार्य हेतु विभिन्न विभागों जैसे :– लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जिला पंचायत देवरिया, नगर पालिका परिशद, देवरिया एवं जनपद की समस्त निकायों में पंजीकृत/अनुभवी ठेकेदारों से मोहरबन्द निविदा दिनांक **27–07–2011** समय दो बजे दिन तक जिलाधिकारी महोदय, देवरिया (टी0ए0सी0 लिपिक) कार्यालय कलेक्ट्रेट देवरिया, जनपद–देवरिया एवं कार्यालय नगर पंचायत गौरी बाजार जनपद देवरिया पर आमंत्रित किया जाता है और प्राप्त निविदाओं को उसी दिन समय 3.00 बजे दिन में अपर जिलाधिकारी महोदय (वित्त एवं राजस्व), देवरिया द्वारा उपस्थित ठेकेदारों/प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र की बिक्री दिनांकः **...26–07–2011** तक अधि ाासी अधिकारी कार्यालय नगर पंचायत गौरी बाजार जनपद– देवरिया एवं उपजिलाधिकारी कार्यालय देवरिया सदर देवरिया, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय कार्यालय (T.A.C.) कलेक्ट्रेट देवरिया पर किसी भी कार्यालय दिवस को कार्यालय समय में की जायेगी, यदि इस संदर्भ में इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना/जानकारी चाहते हैं तो दिनांक **26–07–2011** तक किसी भी कार्यालय दिवस को कार्यालय समय में नगर पंचायत गौरी बाजार, जनपद– देवरिया के कार्यालय से ज्ञात कर सकते हैं। निविदा मूल्य नानरिफण्डेबुल होगी निम्नांकित विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	कार्यस्थल/निर्माण कार्य का नाम	योजना का नाम	लोक निर्माण विभाग देवरिया द्वारा स्वीकृत आगणन धनराि ा	आरक्षण	लम्बाई तथा चौड़ाई (मी0में)	धरोहर धनराि ा जमा करना अनिवार्य है।	अनुबन्ध धनराि ा स्टैम्प पेपर मूल्य	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वार्ड नं0–6 में रतनलाल अग्रवाल के मकान से वृजे ा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	तृतीय राज्य वित्त आयोग एवं नगर निधि	165800.00	अनारक्षित	आगणन के अनुसार	16580.00	1600.00	200.00	एक माह
2	वार्ड नं0–4 भांकर के मकान से मदन जायसवाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य	"	158700.00	अनारक्षित	आगणन के अनुसार	15870.00	1550.00	200.00	एक माह
3	वार्ड नं0–5 में दुलारे गुप्ता के मकान से सीताराम के घर होते हुए कपिलदेव यादव के घर के पीछे सी0सी0 रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य	"	315700.00	अनारक्षित	आगणन के अनुसार	31500.00	3170.00	300.00	एक माह
4	वार्ड नं0–4 में राजेन्द्र यादव के घर से डा0 डी0के0 सिंह के घर तक नाला निर्माण कार्य।	"	503800.00	अनारक्षित	आगणन के अनुसार	50000.00	4900.00	500.00	एक माह
5	वार्ड नं0–2 रवि राय के घर से मिल वाले इण्टरलाकिंग रोड तक नाली निर्माण कार्य।	"	23500.00	अनारक्षित	आगणन के अनुसार	2350.00	230.00	100.00	एक माह
6	वार्ड नं0–8 रामजीत यादव के घर से आनन्द के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	"	343500.00	अनारक्षित	आगणन के अनुसार	34350.00	3350.00	300.00	एक माह
7	लक्ष्मी के घर से गोरख वर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	"	110177.00	अनु0जाति के आरक्षित	आगणन के अनुसार	11000.00	1070.00	100.00	एक माह
8	अल्ट्रा सैनिक स्कूल से सत्येन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	"	123895.00	अनारक्षित	आगणन के अनुसार	12400.00	1200.00	100.00	एक माह
9	महे ा हरिजन के घर से कब्रिस्तान होते हुए दिलीप कुमार के घर तक नाली तथा इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	"	576003.00	अनु0जाति के लिए आरक्षित	आगणन के अनुसार	57600.00	5600.00	600.00	एक माह
10	बस स्टे ान के पीछे से नरौली जाने वाली मार्ग पर क्रासिंग का निर्माण कार्य।	"	32692.00	अनारक्षित	आगणन के अनुसार	3300.00	310.00	100.00	एक माह

निविदा की नियम व भार्ते :–

1. अध्यक्ष/अधि ाासी अधिकारी, नगर पंचायत गौरी बाजार को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि किसी एक निविदा को या समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं। परन्तु यह कार्य जिलाधिकारी महोदय, देवरिया के स्वीकृति के उपरान्त की जायेगी।
2. भाासनादे ा संख्याः 6738/23–7–2206–176(सा0)/06 लोक निर्माण अनुभाग–7, लखनऊ, दिनांकः 05 जनवरी, 2007 के बिन्दु सं0 18 के अनुपालन क्रम में ठेकेदार को निविदा क्रय करते समय धरोहर धनराि ा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा प्रमाण पत्र/डिमाण्ड ड्राफ्ट से जमा कर सकता है। जो अध्यक्ष/अधि ाासी अधिकारी नगर पंचायत गौरी बाजार के नामें भुगतान होना आव यक है। जिसका मूल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। छाया प्रति अमान्य होगी। यदि ठेकेदार नकद जमा करना चाहता है तो नकद भी जमा कर सकता है। यदि ठेकेदार धरोहर धनराि ा जमा नहीं करता है तो उसका निविदा निरस्त कर दिया जायेगा। बिना धरोहर धनराि ा जमा किये कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. ठेकेदार को अपने व्यय से नियमानुसार जनरल स्टैम्प क्रय करके अनुबन्ध करना होगा बिना अनुबन्ध किये भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. निविदा से संबंधित दरें आल ओवर परसेन्टेज के अनुसार मान्य होगा।
5. निविदा पर ओवर राईटिंग व कटिंग अमान्य होगी, ओवरराईटिंग व कटिंग होने पर निविदा निरस्त किया जा सकता है।
6. चालू भुगतान व अन्तिम भुगतान अधि ाासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग देवरिया/ राजपत्रित अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी, जो आगणन की धनराि ा से अधिक का भुगतान नहीं किया जायेगा। सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अवर अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता/अधि ाासी अभियन्ता का होगा।

7. धरोहर धनराि ा निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं अन्तिम भुगतान (अन्तिम चेक कटने के दिनांक से) की तिथि से छः माह के बाद संतोशजनक द ाा में होने के उपरान्त ही वापस की जायेगी। जो अवर अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता की संस्तुति के उपरान्त ही वापस किया जायेगा।
8. नियमानुसार वाणिज्य कर/आयकर/रायल्टी की कटौती अवर अभियन्ता द्वारा बिल बनाते समय की जायेगी। यह अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता का उत्तरदायित्व होगा।
9. यदि उक्त निविदा से संबंधित कोई वाद–विवाद उत्पन्न होता है तो किसी भी ठेकेदार व अन्य व्यक्ति को किसी न्यायालय में जाने का अधिकार न होगा। जिला मजिस्ट्रेट महोदय देवरिया का अंतिम आदे ा सर्वमान्य होगा।
10. निविदा प्रपत्र पर फोटो लगाना अनिवार्य है। अन्यथा अमान्य समझा जायेगा। फोटो न लगाने की द ाा में निविदा निरस्त किया जा सकता है।
11. आगणन से अधिक का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि आगणन से अधिक धनराि ा का बिल अवर अभियन्ता द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त बढ़ी हुई धनराि ा अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के वेतन तथा चल व अचल सम्पत्ति से भू–राजस्व बकाया की भांति वसूली करा करके ही भुगतान किया जायेगा। इस कार्य हेतु सहायक अभियन्ता का भी पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। नगर पंचायत गौरी बाजार के खाते से इस तरह से बढ़ी हुई धनराि ा का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि कर दिया गया है तदोपरान्त उक्त भुगतान की गयी धनराि ा जो बढ़ी हुई है की आर0सी0 जारी करके अवर अभियन्ता के वेतन व चल–अचल सम्पत्ति से वसूली करायी जायेगी। जिसका सारा उत्तरदायित्व अवर अभियन्ता पर होगा।
12. ठेकेदार द्वारा आगणन से अधिक का कार्य नहीं किया जायेगा। यदि वह आगणन से अधिक का कार्य करता है तो उसका भुगतान नगर पंचायत गौरी बाजार के खाते से नहीं किया जायेगा। अधिक धनराि ा का जो कार्य होगा ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। नगर पंचायत गौरी बाजार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के आदे ा संख्या– 6264/चौबीस–9(2006–2007), दिनांक– 29 मई, 2007 के अनुपालन क्रम में प्रदे ा में ठेका/अनुबन्ध तथा पटटे में माफियाओं पर रोक लगाने हेतु रिट याचिका संख्याः 5018/एम0एस0/2005 चन्द्रिका प्रसाद निशाद बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में तथा रिट याचिका संख्याः 5153/एम0एस0/2005 भोलानाथ निशाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदे ा दिनांकः 09.11.2006के अनुपालन के संबंध में, के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
14. ठेकेदार को अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र (पी0डब्लू0डी0–टी0–4) जिस पर ठेकेदार का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नवीनतम् राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न किया जायेगा। संलग्न न करने की द ाा में ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
15. ठेकेदार को अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित हैसियत प्रमाण पत्र (पी0डब्लू0डी0–टी0–5) जिस पर ठेकेदार का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नवीनतम् राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न किया जायेगा। संलग्न न करने की द ाा में ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
16. ठेकेदार को (पी0डब्लू0डी0–टी0–6) स्वयं भापथ पत्र जो 100.00 रूपये (एक सौ रूपये मात्र) स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा दो साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए निविदा के साथ संलग्न किया जायेगा। जिस पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नवीनतम् राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न किया जायेगा। संलग्न न करने की द ाा में ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। स्वयं भापथ पत्र पर अलग–अलग निर्माण कार्यो का अलग–अलग भापथ पत्र लगाना अनिवार्य होगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
17. भाासनादे ा सं0 6738/ 23–7–2006–176 (सा0)/ 06 लोक निर्माण अनुभाग–7 दिनांकः 05 जनवरी 2007 के अनुपालनक्रम में विन्दु सं0 18 में 2.00 लाख रूपये तक सहायक अभियन्ता तथा इससे उपर 40.00 लाख तक अधि ााशी अभियन्ता के स्वीकृति के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। यदि सहायक अभियन्ता द्वारा अनधिकृत तरीके से 2.00 लाख रूपये के उपर की भुगतान की स्वीकृति दी जायेगी तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सहायक अभियन्ता पर होगा साथ ही साथ उक्त भाासनादे ा क्रम में विन्दु सं0 18 पर ही 10 प्रति ात धरोहर धनराि ा जमा करना अनिवार्य हेतु निर्दे ात किया गया है। इस हेतु अध्यक्ष द्वारा इसमें किसी प्रकार की ि ाथिलता नहीं बरती जायेगी। यदि ठेकेदार धरोहर धनराि ा आगणन से 10 प्रति ात जमा नहीं करता है तो उसका निविदा निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका उत्तरदायित्व ठेकेदार पर होगा।
18. बिना अनुबन्ध किये कार्यादे ा नहीं जारी किया जायेगा।
19. भाासनादे ा संख्या– 609/नौ–9–2007–249ज/06, नगर विकास अनुभाग– 9, लखनऊ, दिनांक– 26 फरवरी, 2007 के अन्तर्गत अनुपालन क्रम में सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
20. ठेकेदार द्वारा क्रमांक 01 से लेकर 19 तक के प्राविधानों का पालन करना अनिवार्य है। यदि ठेकेदार उपरोक्त प्राविधानों का अनुपालन नहीं करता है तो उसका निविदा/ ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। ठेकेदार नियमानुसार हर्जे व खर्चे का भी जिम्मेदार होगा, साथ ही काली सूची में भी अंकित किया जा सकता है।

अधिशाशी अधिकारी
नगर पंचायत गौरी बाजार
जनपद– देवरिया

(निलेश कुमार जायसवाल)
अध्यक्ष
नगर पंचायत गौरी बाजार
जनपद– देवरिया

पत्रांकः 522 न0पं0गौ0बा0/2011–12 दिनांकः 18 जुलाई, 2011

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है :–

1. जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
2. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देवरिया/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, कलेक्ट्रट देवरिया।
3. उप जिलाधिकारी, देवरिया सदर, देवरिया।
4. अधि ााशी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड देवरिया।
5. अधि ााशी अधिकारी, नगर पालिका परिशद देवरिया।
6. एन0आई0सी0 देवरिया की सेवा में इस आ ाय से कि उपरोक्त अल्पकालिक निविदा सूचना बेबसाइट पर डाउनलोडिंग करने का कश्ट करें।
7. विज्ञापन व्यवस्थापक, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण/राश्ट्रीय सहारा/स्वतंत्र चेतना/दैनिक आज/राश्ट्रचिन्ह यूनिवर्स रिर्पोटर गोरखपुर एवं दैनिक पायनियर लखनऊ की सेवा में इस आ ाय से प्रेशित कि उपरोक्त विज्ञापन अपने–अपने समाचार–पत्रों में अगले अंक में प्रका ात कराकर समाचार पत्र की 5 प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रेशित करने का कश्ट करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गौरी बाजार
जनपद– देवरिया

(निलेश कुमार जायसवाल)
अध्यक्ष
नगर पंचायत गौरी बाजार
जनपद– देवरिया